



सत्यमेव जयते

केंद्रीय माल व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय: सूरत
C.G.S.T. & Central Excise Commissionerate Surat
तीसरा तल, केंद्रीय उत्पाद शुल्क भवन, गाँधी बाग के सामने, चौक बाजार, सूरत-395001
3rd floor, Central Excise Building, Chowk Bazar, Opp. Gandhi Baug, Surat-395001
Email ID- commr-cexsurat1@nic.in Phone No. 0261-2465672

मिसिल संख्या XX/19/2021

सूरत, दिनांक 17.08.2021

सेवा में

आयुक्त (समन्वय)

क० सं० 245 सी, द्वितीय तल,

केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड

(पूर्व में केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड),

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग


नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001.

महोदय,

विषय : संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति का दिनांक 29.08.2021 से 31.08.2021 तक सूरत में स्थित सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण/दौरा कार्यक्रम

कृपया संसदीय राजभाषा समिति के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/7/2021-समिति-3 दिनांक 14.07.2021 जो की उपर्युक्त विषय से संबन्धित है, का अवलोकन करें। (प्रति संलग्न)

2 जैसा की संसदीय राजभाषा समिति का निर्देश है, समन्वय का उत्तरदायित्व माल एवं सेवाकर आयुक्तालय, सूरत को दिया गया है। अतः इस कार्यालय को माननीय समिति सदस्यों एवं अधिकारियों के लिए रुकने, खाने, संचलन तथा संपर्क इत्यादि की व्यवस्था करनी है।



3 व्यवस्था में अनुमानित व्यय लगभग रुपए 55 लाख आने की संभावना है। चूंकि कुल 5 कार्यालयों का निरीक्षण है। अतः प्रति कार्यालय व्यय लगभग 11 लाख रुपए अनुमानित है। इसके अतिरिक्त स्मृति चिह्न के संबंध में लगभग 1.50 लाख रुपए व्यय का अनुमान है।


4 इसलिए माल एवं सेवाकर आयुक्तालय, सूरत का कुल व्यय लगभग 12.50 लाख आने का अनुमान है। (व्यय के अनुमान का विवरण संलग्न)

ऐसा भी अनुमानित है की यदि किसी कार्यालय के द्वारा व्यय का भार लेने में कमी जताई जाती है तो इसका भार भी इस कार्यालय पर आ सकता है।

5 अतः उपरोक्त के संदर्भ में, आप से अनुरोध है की इस कार्यालय को रुपए 12.50 लाख अतिरिक्त निधि की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरि


17-8-21
(विक्रम वाणी)

or

आयुक्त

प्रतिलिपि:

1. अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय माल व सेवाकर आयुक्तालय, वडोदरा
जी. एस.टी. भवन, रेस कोर्स सर्किल, वडोदरा- 390007

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति के दिनांक 29.08.2021 से 31.08.2021 निरीक्षण कार्यक्रम का अनुमानित व्यय				
उद्देश्य	विवरण	मात्रा	भाव	राशि
भोजन (संभवतः पर्ल अथवा डायमंड हाल, मेरियट होटल)	माननीय सांसद ऐवम अधिकारियों के लिए भोजन हाल के किराए के साथ			
	दिनांक 29.08.2021(दोपहर)	50	5,700	285,000
	दिनांक 29.08.2021(रात्रि)	70	5,700	399,000
	दिनांक 30.08.2021(दोपहर)	50	5,700	285,000
	दिनांक 30.08.2021("गाला" रात्रिभोज)	100	10,000	1,000,000
	दिनांक 30.08.2021(इवेंट मैनेजमेंट)			200,000
	दिनांक 31.08.2021(दोपहर)	50	5,700	285,000
	दिनांक 31.08.2021(रात्रि)	70	5,700	399,000
	"हाई टी" 03 दिवस	100	1,770	177,000
आवास (सूरत मेरियट होटल)	माननीय सांसद ऐवम अधिकारियों के लिए			
	दिनांक 29.08.2021	30	10,856	325,680
	दिनांक 30.08.2021	30	10,856	325,680
	दिनांक 31.08.2021	30	10,856	325,680
वाहन	माननीय सांसद ऐवम अधिकारियों के लिए इनोवा क्रिस्टा			
	दिनांक 29.08.2021(वडोदरा और सूरत)	20	9,500	190,000
	दिनांक 30.08.2021(सूरत भ्रमण)	20	6,000	120,000
	दिनांक 31.08.2021(सूरत)	20	6,000	120,000
	वाहनों पर स्टिकर तथा बोर्ड	20	1,000	20,000
निरीक्षण स्थल	सूरत मेरियट होटल डायमंड हाल दिनांक 31.08.2021 के लिए	1	354,000	354,000
मार्ग पर व्यवस्था	लघु विश्राम ऐवम अल्प आहार			
	दिनांक 29.08.2021(वाडोदरा से सूरत)	30	2,000	60,000
	दिनांक 30.08.2021(सूरत भ्रमण)	30	2,000	60,000
	दिनांक 31.08.2021(हवाई मार्ग से प्रस्थान)	30	2,000	60,000
बैनर ऐवम स्टेशनरी	डिजाइन और प्रिंटिंग के साथ			
	बैनर	20	500	10,000
	आमंत्रण पत्र	50	100	5,000
	प्रॉजेक्टर, स्क्रीन, फैंक्स मशीन, कम्प्युटर, इत्यादि इंजीनियर के साथ	-	50,000	50,000
	आई कार्ड	150	100	15,000
	पेन, नोटेबुक इत्यादि	100	50	5,000
	अन्य विविध फूटकर व्यय	-	50,000	50,000
विविध	हिन्दी हाट (किओस्क)	5	20,000	100,000
	छाते (बड़ा आकार के)	30	800	24,000
	बुके	50	500	25,000
	शाल (खादी)	50	2,500	125,000
	अन्य विविध फूटकर व्यय	1	100,000	100,000
कुल व्यय	कुल व्यय			5,500,040
	व्यय को सभी पाँच कार्यालयों में बराबर बांटने के बाद प्रति कार्यालय			1,100,008
स्मृति चिन्ह	माननीय सांसद ऐवम अधिकारियों के लिए (माल ऐवम सेवा कर आयुक्तालय, सूरत द्वारा)			150,000
	माल ऐवम सेवा कर आयुक्तालय, सूरत का कुल व्यय			1,250,008

* संभवतः 10 सांसद, 06 समिति अधिकारी तथा 10 सांसद के निजी सहायक और 30 प्रोटोकॉल अधिकारी एवं संपर्क अधिकारी, तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति/अधिकारी